



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्य०)
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016.
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQs)
An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India
18, Institutional Area, S.J.SMarg, New Delhi-110016.
Tel.:011-26521841
Website: www.kvsangathan.nic.in

फ.110333/2024-25/के.वि.सं.(मु.)/शैक्षिक/जयपुर

14466

दिनांक 24.01.2024

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
जयपुर संभाग (Jaipur Region)

विषय: सत्र 2024-25 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ स्ट्रेन्थ निर्धारण (कक्षाओं एवं कार्मिकों की संख्या को बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक staff strength निर्धारण के online web portal के माध्यम से सत्र 2024-25 के लिए आपके संभाग अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालयों की कक्षाओं की स्वीकृति हेतु आपके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के संदर्भ में अवगत कराया जाता है कि प्राप्त प्रस्ताव पर विचार के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा आपके संभाग के निम्न तालिकाबद्ध केन्द्रीय विद्यालयों में सेक्शन बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति सत्र 2024-25 के लिए प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	के.वि. का नाम	सत्र 2024-25 के लिए कक्षाएँ/सेक्शन बढ़ाने/घटाने की अनुमति
1	No. 3 Bikaner, NAL	No change.
2	Jhunjhunu	Decreased one section in class-X.
3	Banar Jodhpur	Sanctioned 2 nd section in class-VII. No other change.
4	No. 1 Army Jodhpur	Closed one section in class-XII(Com.) and sanctioned 2 nd section in class-XII(Hum.).
5	No. 2 AFS Jodhpur	Closed class-XII(Com.) and sanctioned one section in class-XII(Hum.).
6	Mount Abu	Decreased one section in class-III and sanctioned 2 nd section in class-II. No other change.
7	Phulera	Decreased one section in class-VIII.
8	No. 2 AFS Suratgarh	Decreased one section in class-III and closed class-I.
9	Dungarpur	Sanctioned 2 nd section in class-VIII.
10	Chittorgarh	Sanctioned 2 nd section in class-VIII. No other change.
11	Deogarh	Sanctioned 2 nd section in class-VII.
12	BSF Khajuwala	Sanctioned one section in class-XII(Hum.)
13	Jalore	No change.
14	CUR Bandarsindri	No change.
15	Hanumangarh Jn.	Sanctioned 2 nd section in class-X.
16	Nagaur	Sanctioned 2 nd section in class-VII and one section in class-XII(Sc.). No other change.
17	No. 7 CISF Jaipur	Sanctioned 2 nd section in class-VII and one section in class-XII(Sc.).
18	Dholpur	Sanctioned 2 nd section in class-VII, one section each in class-XII(Sc.) and XII(Hum.).
19	Tivri	Sanctioned 2 nd section each in class-I, II, III, IV & V and one section in class-XI(Sc.). No other change.
20	Bandikui	Sanctioned one section in class-X and closed class-II. No other change. (A fresh proposal may be sent for restoration of class-I and II once the building is handed over by the sponsoring agency),
21	Pratapgarh	Sanctioned one section in class-IX.

संभाग के शेष केन्द्रीय विद्यालयों के सेक्शनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृपया संबन्धित उपायुक्त अनुवर्ती कार्रवाई हेतु, स्टाफ स्वीकृति के मानदंडों के अनुसार पूर्णतः जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात ही वांछित आलेख (Proforma-A & Proforma-B), निम्नलिखित प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ अधिकतम 10 दिनों की समायावधि में इस कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


Contd. . .

“It is certified that all the calculations are strictly as per staffing norms and there is no deviation.”

1. **समेकित प्रोफॉर्मा-A (Consolidated Proforma-A)**- duly signed by the Deputy Commissioner of the Region.
2. आपके संभाग के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ स्वीकृति हेतु निर्गत किया जाने वाला Draft **Proforma-B (Soft copy in Excel format)**.
3. इस पत्र के साथ **संलग्न Excel Sheet में समेकित विवरण** भी भरकर भेजें।

संबन्धित उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर सुनिश्चित करें कि उपरोक्त डाटा/ आलेख (documents) जो के.वि.सं. मुख्यालय में भेजे जा रहे हैं वे पूर्णतः सही हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखें कि जिन-जिन केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान संख्या स्वरूप में कक्षाएँ व्यवस्थित की गई हैं वहाँ पर पदों की संख्या भी नियमानुसार, यथासंभव समान ही होनी चाहिए ।

भवदीय



(एन आर मुरली)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

संलग्नक : यथोपरि।